स्वातंत्रय का अधिकार – (अनुच्छेद 19 से 22 तक)

"मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948" के अनुच्छेद 19 तथा "नागरिक एवं राजनितिक अधिकार प्रसंविदा 1966" के अनुच्छेद 19 के समान ही सभी मानवाधिकारों

Scanned by CamScanner

में महत्वपूर्ण वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में समाविष्ट किया गया है। ये अनुच्छेद इस मानव अधिकार के विभिन्न आयाम प्रस्तुत करते है। अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को छहः मूल स्वतंत्रताओं की ग्यारंटी प्रदान करता है। ये मूल स्वतंत्रताऐं निम्न है।

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्रय
2. शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता
3. संगम की स्वतंत्रता
4. संचरण की स्वतंत्रता
5. निवास और बस जाने की स्वतंत्रता
6. वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता।

विख्यात् विधिवेत्ता एन.ए. पालखीवाला ने यह कहा है कि "स्वतंत्रता मानव के हृदय में निवास करती है। मनुष्य की मृत्यु से पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब स्वतंत्रता की मृत्यु हो जाती है तब कोई भी संविधान, विधि अथवा न्यायालय न तो उसे बचा सकता है और न ही कोई सहायता कर सकता है।[10]

अनुच्छेद 19 (1) में गिनाई गई स्वतंत्रताऐं वे मूल अधिकार है जिन्हें मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ये अधिकार नागरिकों में अर्न्तनिहित है।

अनुच्छेद 20– अपराधों के लिए दोषसिद्धी के सम्बन्ध में संरक्षण

इस प्रकार अनुच्छेद 20 तीन प्रकार के संरक्षणों का उल्लेख करता है–

(अ) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण

(ब) दोहरे दण्ड एवं अभियोजन से संरक्षण; तथा

(स) आत्म अभिशंसन से संरक्षण।[11]

भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में किसी अपराध के ऋजु विचारण हेतु आवश्यक सिद्धांतों की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार "कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जाएगा, जब तक की उसने एसा

Scanned by CamScanner

कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि को अतिक्रमण नही हैं या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने समय प्रवृत्त विधि के अधिन आरोपित की जा सकती थी।"

अनुच्छेद 20 (2) में नागरिकों के शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार की ग्यारंटी प्रदान की गई है। "किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नही किया जाएगा।"

अनुच्छेद 20 का भाग (3) व्यक्तियों को आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि "किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नही किया जाएगा।" यह अधिकार ऋजु विचारण में विशेष स्थान रखता है।

इस विशेषाधिकार का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक नही है कि वास्तविक विचारण या जांच न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष प्रारंभ हो गयी हो। कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है, और मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण का आदेश दे दिया है, इसका लाभ ले सकता है।

अनुच्छेद 21–"प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण"

"किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नही।"

अनुच्छेद 21 की भारतीय संविधान में स्थापना के पीछे उद्देश्य भारत में कार्यपालिका द्वारा नागरिकों के दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकना है। यह संरक्षण विधान मण्डलों के विरूद्ध भी प्राप्त है। यह अधिकार मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीने का हक प्रदान करता है। प्राण के अधिकार में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू सम्मिलित है जो मानव जीवन को अर्थ प्रदान करते है, पूर्णता प्रदान करते है।

अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकार की परिधि बड़ी ही व्यापक है तथा कई उपर्युक्त अधिकार जिनका संविधान में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद 21 में सम्मिलित हैं। यह अधिकार निम्नलिखित हैं :

Scanned by CamScanner

(i) विदेश जाने का अधिकार;

(ii) गुप्तता का अधिकार;

(iii) एकांत कारावास के विरूद्ध अधिकार;

(iv) बेड़ी लगाने के विरूद्ध अधिकार;

(v) विधिक सहायता का अधिकार;

(vi) शीघ्र परीक्षण का अधिकार;

(vii) हथकड़ी लगाने के विरूद्ध अधिकार;

(viii) विलम्बित फाँसी के विरूद्ध अधिकार;

(ix) हिरासत में हिंसा के विरूद्ध अधिकार;

(x) जनता के समक्ष फाँसी के विरूद्ध अधिकार;

(xi) स्वास्थ्य देखभाल या डाक्टर की सहायता का अधिकार;

(xii) आश्रय का अधिकार।[12]

अनुच्छेद 21 (क)–''शिक्षा का अधिकार''

छियासिवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह नया अनुच्छेद 21 (क) संविधान में जोड़ा गया। यह उपबंधित करता है कि ''राज्य ऐसी रिति से जैसा की विधि बनाकर निर्धारित करे, छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा।'' एक शिक्षित नागरिक स्वयं तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में स्थापित किया गया है।

अनुच्छेद 22–''कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण''

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा निरोध के विरूद्ध संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के दो भाग है, प्रथम भाग के खण्ड एक और दो में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विरूद्ध निम्नलिखित संरक्षणों का प्रावधान किया गया है।

Scanned by CamScanner

(क) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होगा।

(ख) विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार;

(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।

द्वितीय भाग में अनुच्छेद 22 (3) से (7) तक में निवारत कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारी के प्रावधानों को रखा गया है। किसी व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध में रखा जाता है, अधिकतम तीन माह तक ऐसा निरोध रहेगा। दो माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखे जाने हेतु सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश दो माह की समाप्ति के पूर्व लेना होगी। निवारक निरोध में बन्द व्यक्ति को बन्दी बनाये जाने के आधारों को बताना होगा। ऐसे व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र संसूचना और नरजबंदी के विरूद्ध आवेदन का अवसर दिया जाएगा।

Scanned by CamScanner